

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 341 / 2024 दिनांक 29.01.2024

श्री लोकेश पड़िहार (RJ01383), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप (जोधपुर जिला) को दिनांक 05.02.2024 से 23.02.2024 तक 19 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 04.02.2024 एवं 24.02.2024 से 25.02.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पड़िहार की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी (जोधपुर जिला) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप (जोधपुर जिला) के पद पर ही होने की सम्भावना है।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक 29.01.2024

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) / 136 / 2020 / 874

दिनांक 29.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 91 दिनांक 06.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री लोकेश पड़िहार (RJ01383), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप (जोधपुर जिला)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाप (जोधपुर जिला)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी (जोधपुर जिला)।

सहायक सचिव